

8.2.19

वकील इभयपत्त इपास्केल/उपरण के कल
द्रवा राधवेड सिंह वनाम वन विभाग की
पत्रावली RAA न्यायालय से प्राप्त हुई है।
अपीलीय न्यायालय के द्वारा इसमें निर्णय
व डिक्री दिनांक 13-11-09 को निरस्त
किया जाकर पुनः सुनवाई हेतु कर निर्णय
धारित करने हेतु भिजवाया गया है। इस
कार्यना पत्र में डिक्री दिनांक 13-11-09 की
पालना चाही गई है। उक्त डिक्री निरस्त हो
जाने के कारण शक्यत कार्फना पत्र
में कोई कार्फवाही अपेक्षित नहीं है।
धारा 1 प्रकरण में कार्फवाही द्वारा एडवोकेट
समाप्त की जाती है। पत्रावली फेशल
शुमार होकर शाखिल दफतर है।

उपसपडाधिकारी
धौलपुर (राज)